कार्यालय अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–33/रा0प0/2012 दिनाँक 04–09–2012

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/
   गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

महोदय,

माह मई, 2012 में प्रदेश के मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की गयी थी जिसमें मुख्य रूप से राजस्व वादों की Pendency के बारे में चर्चा की गयी थी।

यह सुखद विषय है कि गत तीन वर्षों की तुलना में जहां हर वर्ष राजस्व वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है वहीं अप्रैल, 2012 से माह जुलाई, 2012 तक राजस्व वादों की संख्या बढ़ी नहीं है, अपितु स्थिर है।

जैसा कि, मैंने पहले भी लिखा था और बैठक में कहा था कि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में जिस माह में जितने वाद दायर हुए हैं, उससे डेढ़ गुना ज्यादा वादों का निस्तारण करेंगे और उसी क्रम में वादों की Pendency में पिछले 04 माह में ईजाफा नहीं हुआ परन्तु अभी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। वादों के दायरा से ज्यादा निस्तारण का होना अति आवश्यक है।

अभी हाल ही में मैंने एक नया प्रारूप बनाकर उसकी समीक्षा की है जिसमें चौंकाने वाली बात यह भी आयी है कि प्रदेश में 41 वाद ऐसे हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने लंबित वाद हैं जो मुख्य रूप से आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल तथा अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल के न्यायालय में लंबित हैं। इसी प्रकार लगभग 627 वाद ऐसे हैं जो 09 वर्ष से 15 वर्ष के बीच के लंबित हैं यह भी सर्वाधिक जनपद देहरादून, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल, जनपद नैनीताल तथा अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल के न्यायालय में लंबित हैं, यह चिन्ता का विषय है। इसी प्रकार 03 वर्ष से 09 वर्ष पुराने वाद भी लगभग 5000 हैं जो कि विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। जिस प्रारूप पर सूचना बनी है वह मैं आपको संलग्न कर प्रेषित कर रहा हूँ और यह निवेदन कर रहा हूँ कि 03 वर्ष से अधिक अवधि के समस्त वाद जो संख्या में लगभग 5500 है, को हर–हाल में 31.12.2012 तक निस्तारित करें और जो वाद 03 वर्ष तक के हैं, जिनकी संख्या लगभग 11000 है, उन्हें 31.03.2013 तक निस्तारित करने की कार्यवाही करें।

मैं हर माह हर पीठासीन अधिकारी के न्यायालय के लंबित वादों के निस्तारण की समीक्षा कर रहा हूँ और किस माह विशेष में क्या प्रगति हुई उसका आंकलन किया जा रहा है। वार्षिक प्रविष्टि अंकित करते समय इसका संज्ञान लिया ही जायेगा परन्तु दिसम्बर, 2012 तक किन्हीं पीठासीन अधिकारी विशेष के न्यायालय के निस्तारण की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है तो विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि भी देने पर विचार किया जा सकता है।

मैं चाहूँगा कि मण्डलायुक्त मण्डलीय समीक्षा बैठक में तथा जिलाधिकारी जिले की समीक्षा बैठक में इस ओर विशेष ध्यान दें।

यह बताना समीचीन होगा कि वर्तमान में लगभग 40,000 राजस्व वाद लंबित हैं तो 40,000 वादों के लिए लगभग 80,000 वादकारी आते–जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है।

सितम्बर, 2012 से लेकर 31.03.2013 तक राजस्व वादों के निस्तारण के लिए सतत् प्रयास करें तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर वादों की संख्या में कमी लाने की व्यवस्था करें।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलाकनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।